

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय

(राज्य विश्वविद्यालय, म.प्र. शासन)

डॉ. अम्बेडकर नगर (महू) इन्दौर, (म.प्र.)

Website-www.brauss.in, brauss.mp.gov.in



पत्र क्र./ब्राउस/कु.स./2021/994

दिनांक :- 8/8/2021

अधिसूचना

प्रवेश सत्र 2021-22 के संदर्भ में सर्व संबंधितों को सूचित किया जाता है कि प्रवेश सत्र 2021-22 में "पहले आओ पहले पाओ" के तहत अस्थायी प्रवेशित विद्यार्थियों के दस्तावेज परीक्षण एवं सत्यापन प्रक्रिया निम्नानुसार निर्धारित की गई है -

(अ) चरणवार दस्तावेज परीक्षण एवं सत्यापन -

1. प्रथम चरण- 31 अगस्त, 2021 तक के पंजीकृत विद्यार्थियों के दस्तावेजों का परीक्षण एवं सत्यापन 1 से 10 सितम्बर, 2021 तक किये जायेंगे।
2. द्वितीय चरण- 15 सितम्बर, 2021 तक के पंजीकृत विद्यार्थियों के दस्तावेज परीक्षण एवं सत्यापन 16 से 22 सितम्बर, 2021 तक किये जायेंगे।
3. तृतीय चरण- 30 सितम्बर, 2021 तक के पंजीकृत विद्यार्थियों के दस्तावेज परीक्षण एवं सत्यापन 1 से 7 अक्टूबर, 2021 तक किये जायेंगे।
4. प्रवेश की अंतिम तिथि बढ़ाने की दशा में आगामी चरण हेतु तदनुसार सूचित किया जायेगा।


(ब) दस्तावेज परीक्षण एवं सत्यापन प्रक्रिया-

1. दस्तावेज परीक्षण एवं सत्यापन प्रक्रिया विभाग स्तर पर दो सदस्यीय समिति द्वारा किये जायेंगे जिसमें पाठ्यक्रम के विभागाध्यक्ष या उनके द्वारा नामित सदस्य और संबंधित कोर्स कोर्डिनेटर शामिल होंगे। इसकी उचित व्यवस्था संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष एवं कोर्स कोर्डिनेटर करेंगे।
2. संबंधित कोर्स कोर्डिनेटर विद्यार्थियों से संपर्क कर दस्तावेज परीक्षण एवं सत्यापन की प्रक्रिया निर्धारित समयसीमा में करवायेंगे।
3. सत्यापन कर्ता समिति अभ्यर्थी की अर्हता एवं पात्रता का परीक्षण करना सुनिश्चित करेंगे।
4. विद्यार्थियों से 02 सेट दस्तावेज के मंगवाया जाना है।
5. प्रत्येक दस्तावेज उसके मूल दस्तावेज से परीक्षण कर सत्यापित करना सुनिश्चित करे।
6. कोर्स कोर्डिनेटर एक दस्तावेजों का सेट अपने पास संबंधित की नस्ती में जमा करें और एक सेट दस्तावेज परीक्षण एवं सत्यापन की पावती के रूप में विद्यार्थी को देवे।
7. कोर्स कोर्डिनेटर सत्यापित दस्तावेजों की छायाप्रति की सूची सहित प्रवेश शाखा में निर्धारित समयसीमा में जमा करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :-

1. माननीय कुलपति महोदया के निज सचिव की ओर माननीय कुलपति महोदया को सूचनार्थ।
2. कुलसचिव के निज सहायक की ओर कुलसचिव महोदय को सूचनार्थ।
3. संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष की ओर सूचनार्थ।
4. सहायक कुलसचिव, परीक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ।
5. सहायक कुलसचिव, अकादमिक की ओर सूचनार्थ।
6. समस्त कोर्स कोर्डिनेटर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
7. वेबसाइट प्रभारी की ओर छात्रों को सूचना हेतु विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने दिषयक।
8. प्रवेश शाखा को सूचनार्थ।
9. फाईल रिकार्ड हेतु।


कुलसचिव


कुलसचिव